

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 467 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 29/07/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाल्ल वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में द्वाराओं काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/53059/2020)।

संदर्भ - अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०व०, अल्मोड़ा का पत्रांक 2302/7सी० व०भू० दिनांक 15.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा प्राप्त कर निम्नवत प्रेषित है:-

क्र. सं.	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	As per DSS analysis, KML area of proposed diversion becomes only 0.03 ha instead of 2.62 ha, State Government is requested to give clarification in this regard and provide correct KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की संशोधित के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन के पार्ट 1 के सैक्शन सी०ए में अपलोड कर ली गयी है।
2	CA is proposed over degraded forest land (RF area). As per(Van Sanrakshan evem Samvardhan) Rules, 2023 CA required to be selected in non-forest land only.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन सिविल क्षेत्र में कर लिया गया है। सी०ए० क्षेत्र के समस्त प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट 1 सैक्शन एल० में अपलोड कर लिया गया है।
3	During examination of the proposed area KML file, it is observed that there is some construction work that has been started without approval near the river side.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि नदी की ओर इस खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत नौगाँव पनौरा मोटर मार्ग है। जिसका ऑनलाईन प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०के०/रोड/11112/2015 है। वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग के पत्र सं० 412/X-X-16/1(137)/2015 देहरादून दिनांक 13.12.2026 के द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त है।
4	It is noticed that Site Inspection Report of DFO does not contains proposal details. SIR of DFO is required to be submitted in proper format.	संलग्न है।

0/c

5	NPV calculation on the revised rate is required to be submitted in proper format.	पूर्व में नवीन दरों के अनुसार ही तैयार कर प्रेषित किया गया है, जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
---	---	--

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 467 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।